इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 18 | अंक संख्या 12 | जुलाई, 2026 | पृष्ठों की संख्या - 13

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ	3
बैंकिंग नीतियाँ	4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ	5
पूंजी बाजार	7
बीमा	8
विनियामक के कथन	8
आर्थिक संवेष्टन	8
नई नियुक्तियाँ	9
विदेशी मुद्रा	9
शब्दावली	10
वित्तीय ज्ञान	10
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां	10
संस्थान समाचार	11
बाजार की खबरें	12

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

ग्राहक सुरक्षा हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ईबीटी के लिए नवीकृत मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग संव्यवहारों से संबंधित मानकों को नवीकृत किया है। किए गए परिवर्तनों के अनुसार, ईबीटी करने वाले ग्राहक (एटीएम से नकद राशि आहरणकर्ताओं के अतिरिक्त) को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल (जहां उपलब्ध हो) अनिवार्यत: देना होगा। 500 रुपए से अधिक मूल्य के सभी ईबीटी हेतु बैंक से ग्राहक को तुरंत एसएमएस अलर्ट मिला करेगा। ईबीटी में ग्राहक सुरक्षा तथा ग्राहकों के अधिकारों, कर्तव्यों और जोखिमों के प्रति ग्राहक जागरूकता हेतु समुचित नीतियाँ बनाना बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ईबीटी धोखाधड़ी के वास्तविक शिकार व्यक्ति जिसने 50,000/- रुपए तक की सकल हानि के मामले की शिकायत की हो, को निवल हानि के 85% या 25,000/- रुपए, इनमें से जो कम हो की प्रतिपूर्ति, व्यक्ति के जीवन काल में एक बार की जाएगी। क्रेडिट कार्ड संबंधित ऐसी शिकायत के मामले में, बैंक, ग्राहक से सूचना मिलने की तिथि से पाँच कलेंडर दिवस के भीतर, ईबीटी में निहित राशि के बराबर हेतु शैडो रिवर्सल प्रदान करेगा। नए निदेश 1 जनवरी 2027 को या इसके बाद लागू होंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2026 जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2026 जारी कर दी है जिसकी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं।

- बार-बार के झटकों के बावजूद वैश्विक वित्तीय प्रणाली ने अब तक उल्लेखनीय दृढ़ता दिखाई है।
- भरपूर पूंजी व चलनिधि बफर, आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार तथा स्थिर लाभप्रदता के चलते अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक स्वस्थ व सुरक्षित बने हुए हैं। तथापि, बढ़ा हुआ लोक ऋण, बांड बाजार की कमजोरी, आस्तियों का बढ़ा-चढ़ा मूल्य और ऋणग्रस्त एनबीएफआई वे कमजोरियाँ हैं जो भविष्य में भारी झटके दे सकती हैं। साइबर जोखिम को वित्तीय प्रणाली की कमजोरी के स्रोत के बढ़ते जोखिम के रूप में देखा जा रहा है जो वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है।
- बैंकों का देयता पक्ष अल्प-लागत चालू व बचत खातों (कासा) से उच्च लागत मीयादी जमाराशियों तथा जमा प्रमाणपत्र (सीडी) की तरफ जा रहा है, जिससे निधियों की सीमांत लागत बढ़ रही है।
- बैंक उच्चतर प्रतिफल वाले खंडों यथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और रिटेल को अधिक ऋण दे रहे हैं जिससे उनका मार्जिन बढ़ा है। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को ऋण में वृद्धि हुई है किंतु ऋणी आधार सिकुड़ता जा रहा है और इसमें 22.7 लाख की कमी आई है।
- पर्याप्त पूंजीकरण, अच्छी लाभप्रदता और आस्त गुणवत्ता में निरंतर सुधार से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की वित्तीय हालत अच्छी बनी हुई है।
- जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन क्षमता अनुपात न्यूनतम वांछित सीमा के ऊपर बना हुआ है जिससे बीमा क्षेत्र के तुलन पत्र में निरंतर मजबूती दिख रही है।
- 2025-26 में भारतीय प्रतिभूति बाजार से कुल जुटाया गया संसाधन थोड़ा कम रह कर 15.3 लाख करोड़ रुपए हो गया जो वर्षानुवर्ष 2.3% कम है।

दुर्विक्रय, डार्क पैटर्न्स, ग्राहक सहमति पर नियमों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सख्ती

1 जनवरी 2027 से, बैंकों तथा अन्य विनियमित संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों की बिक्री, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सख्त किए गए नियमों के अधीन होगी। लागू किए जाने वाले अधिदेशों में कुछ हैं- स्पष्ट ग्राहक सहमति तथा दुर्विक्रय के मामले में ग्राहकों को क्षतिपूर्ति देने के लिए कर्जदाताओं को जवाबदेह बनाना। दुर्विक्रय को ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बगैर, सही या पूरी जानकारी दिए बिना अथवा भ्रामक जानकारी देकर किसी उत्पाद या सेवा की बिक्री करने के रूप में परिभाषित किया

गया है। ग्राहकों की सहमति लेने से पूर्व उन्हें उत्पाद की मुख्य खूबियों तथा शुल्क, प्रभार, ब्याज दर, जोखिम, लॉक-इन जुर्मानों एवं निकासी दंडों की स्पष्ट जानकारी अनिवार्यत: दी जाएगी। बैंकों द्वारा वित्तीय उत्पाद बेचने के 30 दिन के भीतर उन्हें ग्राहक की प्रतिक्रिया मांगने हेतु तंत्र निर्मित करना होगा। साथ ही यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि अन्य पक्ष सेवा प्रदाता से बैंक कर्मचारी कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन राशि नहीं प्राप्त करें। निदेशों में बैंकों तथा उनके अभिकर्ताओं द्वारा 'डार्क पैटर्न्स' के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बैंकों द्वारा नियोजित प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट (डीएसए) तथा प्रत्यक्ष विपणन एजेंट (डीएमए) की जानकारी का बैंक सार्वजनिक रूप से खुलासा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे एजेंट झूठ बोल कर खुद को बैंक कर्मचारी न बताएं।

एएमएल, सीएफटी, केवाईसी पर दिशानिर्देशों में आईएफएससीए द्वारा संशोधन

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने धनशोधन निवारण, आतंकियों को वित्तपोषण निषेध तथा अपने ग्राहक को जानें संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। तदनुसार, आईएफएससी में सभी वित्तीय संस्थाएं व्यवसाय लेनदेन जनित कोई धनराशि आईएफएससी स्थित बैंकिंग इकाई में रखे खाते अथवा विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में ही प्राप्त करेंगी। ये संशोधन पूर्व में दी गई बुनियादी छूटों से हटे बिना, लेनदेनों पर निगरानी को मजबूत करते हैं।

पीएफआरडीए द्वारा विनियामक सैंडबॉक्स ढांचा जारी

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने पेंशन क्षेत्र में दायित्वपूर्ण नवोन्मेष लाने हेतु एक विनियामक सैंडबाक्स ढांचा जारी किया है। इस सैंडबाक्स में पेंशन संबंधी नए उत्पादों, सेवाओं तथा व्यवसाय माडलों के नवोन्मेषकों द्वारा परीक्षण की जगह उपलब्ध है।

पीएफआरडीए द्वारा स्टार एनपीएस का आरंभ

पीएफआरडीए स्टार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएएस) नामक नया डिजिटल ऑनबोर्डिंग ढांचा लेकर आया है जिसमें अभिदाता पूर्णत: डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से खाता खोल और अभिदान कर सकेंगे। एनपीएस नामांकन तथा सर्विसिंग करने वाले पॉइंट्स ऑफ पर्चेज (पीओपी) द्वारा उपयोग के लिए इस प्लेटफॉर्म को कार्यान्वित कर दिया गया है।

आईबीबीआई द्वारा चूक विवाद ढांचे में संशोधन कर दिवाला प्रक्रिया में तेजी

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत चूकों को अधिप्रमाणित और दर्ज करने का तरीका बदलते हुए आईबीबीआई ने एक ढांचा बनाया है। इसमें, एक चूक को कर्जदार द्वारा विवादित बताए जाने पर इन्फार्मेशन यूटिलिटी (आईयू) इसे 'विवादाधीन जानकारी' नामक अलग श्रेणी में रख देगी। देनदार जहां चूक की पुष्टि करता है अथवा अनुस्मारकों के बावजूद उत्तर नहीं देता, वहाँ 'चूक का अभिलेख' जारी किया जाएगा। जहां देनदार केवल आंशिक चूक राशि को विवादित बताता है या विवाद केवल गैर-वित्तीय जानकारी से संबंधित है वहाँ आईयू कर्ज के अविवादित हिस्से को भी अधिप्रमाणित कर सकती है।

बैंकिंग नीतियाँ

ट्रेड्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग प्रणाली (TReDS) में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

अधिकृत संस्थानों की अन्य गैर-बैंक भुगतान प्रणाली (पीएसओ) से पूंजी आवश्यकताओं को सुगम बनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने ट्रेड्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग प्रणाली (TReDS) में संशोधन किया है। इससे एमएसएमई विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सरल होगी तथा वित्तपोषक TReDS पर लिए गए एक्सपोजर हेतु ऋण गारंटी कवर ले सकेंगे। TReDS प्लेटफॉर्म को प्रमाणित करना होगा कि विक्रेता वास्तव में एमएसएमई हैं तथा निधियों का सीधे उनके बैंक खाते में जमा सुनिश्चित करना होगा। TReDS प्लेटफार्म संचालित करने के इच्छुक नए आवेदकों की न्यूनतम मालियत 25 करोड़ रुपए अवश्य होनी चाहिए। मौजूदा संचालकों को यह अपेक्षा 31 मार्च 2028 तक पूरी करनी है।

विदेशी मुद्रा अंतर्वाह में स्थिरता लाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि प्रबंधन

विदेशी मुद्रा अंतर्वाह में स्थिरता लाने तथा ओवरसीज निधियाँ लेने वाली संस्थाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाह्य क्षेत्र

जोखिमों को संभालने हेतु पहले से तैयारी की है। विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) हेतु इसने यूएस डालर-रुपया फॉरेक्स स्वैप सुविधा और नवीन विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक (एफसीएनआर) (बी) जमाराशियों हेतु एक समांतर योजना शुरू की है। ईसीबी स्वैप सुविधा सरकारी स्वामित्व की पीएसयू अथवा केंद्र/राज्य सरकार क़ानूनों अंतर्गत स्थापित पीएसयू के साथ ओवरसीज विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) जुटाने वाले एडी श्रेणी-1 बैंकों के लिए है। सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक प्राप्त ड्राडाउन और फ्लो के लिए 15 जनवरी 2027 तक खुली रहेगी। इसके साथ भारतीय रिज़र्व बैंक ने नई एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के लिए स्वैप सुविधा 16 अक्तूबर 2026 तक खुली रखी है। योजना 8 जून और 30 सितंबर 2026 के बीच जुटाई गई 3 से 5 वर्ष की अवधि की जमाराशियों पर लागू है। जमाराशियाँ मुक्त रूप से परिवर्तनीय किसी मुद्रा में जुटाई जा सकती हैं किन्तु स्वैप केवल यूएस डॉलर के साथ किया जा सकता है। बैंकों को 30 सितंबर 2026 तक एकत्र नई एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से भी छूट दी गई है।

विदेशी निधियाँ आकर्षित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने दरों पर उच्च सीमा हटा दी है

कुछ अनिवासी विदेशी (एनआरई) और एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने उच्च सीमा अस्थायी रूप से हटा दी है ताकि बैंकों को ओवरसीज निधियाँ आकर्षित करने में अधिक छूट मिले। इस परिवर्तन के साथ बैंक तीन वर्ष और अधिक की परिपक्वता वाली नई एनआरई जमाराशियों पर ऊंची दर से ब्याज दे सकते हैं। 3-5 वर्ष की परिपक्वता वाली नई एफसीएनआर (बी) जमाराशियों तथा पात्र नवीकरणों पर भी ब्याज दरों पर उच्चतम सीमा को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हटा लिया गया है।

एनओपी हेतु ढांचे, विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बदलाव

1 अप्रैल 2027 से नेट ओपन पोजीशन (एनओपी) तथा विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार से संबन्धित भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देश लागू होंगे। नए ढांचे के अनुसार, बैंकों को ऑनशोर तथा ऑफशोर नेट ओपन पोजीशन की अलग से गणना करने की आवश्यकता नहीं होगी। एकल तथा समेकित दोनों स्तरों पर, कुछ स्ट्रक्चरल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर एनओपी गणना से बाहर रखे जाएंगे। बैंक एनओपी की गणना तथा विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु पूंजी प्रभार रखना समूह/समेकित स्तर तथा एकमात्र/एकल स्तर दोनों पर कर सकेंगे।

निर्यात आय के प्रत्यावर्तन हेतु निर्यातकों को 15 माह की बजाय 9 माह मिलेंगे

निर्यातकों द्वारा निर्यात करने की तिथि से 9 माह (पहले के 15 माह की बजाय) के भीतर निर्यात आय को वसूल कर भारत वापस लाना होगा जब तक कि उन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत अन्यथा अनुमति न दी गई हो। विनियामक ने निर्यातकों को पहले उपलब्ध अनुपालन समय घटा कर निर्यात की बकाया प्राप्य राशियों पर निगरानी सख्त कर दी है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

वित्तीय समावेशन बढ़ाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'अग्रणी बैंक योजना' का कायाकल्प

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'अग्रणी बैंक योजना' (एलबीएस) का कायाकल्प कर दिया है। संशोधित दिशानिर्देशों में अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम), राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) तथा अन्य हितधारकों के दायित्व परिभाषित किए गए हैं और प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। जिले में अग्रणी बैंक योजना का समन्वय करने तथा इसे लागू करने की निगरानी के खास उद्देश्य हेतु प्रत्येक बैंक एक अग्रणी जिला प्रबंधक नियुक्त करेगा। बैंकों तथा सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत करने हेतु जिला स्तरीय बैंकर समिति, जिला परामर्शदात्री समिति और राज्य स्तरीय बैंकर समिति को शामिल कर एक त्रि-स्तरीय ढांचा भी शुरू किया गया है।

किसानों को ऋण सहायता बेहतर करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केसीसी मानदंडों में संशोधन

1 जनवरी 2027 से, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना कृषि और सम्बद्ध कार्यों में नियोजित ऋणियों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित मानदंडों के अनुसार लागू होगी। इन मानदंडों का उद्देश्य सरल तथा मानक प्रक्रियाओं वाली मिश्रित सुविधा के जरिए ऋणियों की कार्यशील पूंजी एवं निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त

तथा समय पर सहायता सुनिश्चित करना है। प्रति ऋणी दो लाख रुपए के कर्ज हेतु संपार्श्विक प्रतिभूति और मार्जिन से छूट की अनुमति दी गई है। ऋणों की मंजूरी तथा चुकौती कार्यक्रम में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए फसली मौसम की परिभाषा का मानकीकरण किया गया है।

बैंक सूचीबद्ध REITs तथा InvITs को कर्ज दे सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को रियल एस्टेट निवेश न्यासों (REITs) तथा अवसंरचना निवेश न्यासों (InvITs) को कर्ज देने की अनुमति दे दी है बशर्ते कि ये न्यास सूचीबद्ध, पंजीकृत एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित हों। कोई बैंक एक REIT को तभी कर्ज दे सकता है जब इसकी अंतर्निहित आस्तियों का न्यूनतम 80%, न्यूनतम एक वर्ष से संचालित परिचालनों से धनात्मक नकदी प्रवाह उत्पन्न कर रहे हों। REIT को बैंक का सकल एक्सपोजर REIT की आस्तियों के मूल्य के 49% या बैंक के बोर्ड द्वारा तय न्यूनतर सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। एक बैंक किसी InvIT को तब कर्ज दे सकता है जब InvIT की आस्तियों के मूल्य का न्यूनतम 80% पूर्ण और आय अर्जक अवसंरचना परियोजनाओं में निवेशित हो और ऐसी आस्तियां न्यूनतम एक वर्ष से संचालित परिचालनों से निवल धनात्मक नकदी प्रवाह उत्पन्न कर रही हों। एक बैंक द्वारा किसी REIT अथवा InvIT को दी गई ऋण सुविधाएँ बुलेट या बैलूनिंग चुकौती संरचना वाली नहीं हो सकतीं।

ईसीएलजीएस 5.0 ऋणों को जोखिम भार संबंधी राहत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों तथा अन्य विनियमित संस्थाओं को निदेश दिए हैं कि आपाती ऋण सुविधा गारंटी (ईसीएलजीस) 5.0 योजना में जहां समझौता राशि, आहूत किए जाने की तिथि के 30 दिनों के भीतर मिलनी संभावित है, वहाँ प्रत्याभूत हिस्से के 75% तक शून्य प्रतिशत का जोखिम भार लगेगा। शेष एक्सपोजर पर जोखिम भार मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लगेगा।

1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आस्तियों वाली एनबीएफसी अपर लेयर में श्रेणीबद्ध

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपर लेयर वाले एनबीएफसी की पहचान तथा सरकारी स्वामित्व की एनबीएफसी को विभिन्न लेयरों में रखने की प्रक्रिया को संशोधित कर दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए व इससे अधिक की आस्ति वाली एनबीएफसी अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) श्रेणी में आएंगीं। संशोधित मानदंड की आवधिक समीक्षा की जाएगी तथा एनबीएफसी-यूएल के निर्धारण हेतु आस्ति आकार की न्यूनतम सीमा की समीक्षा तीन वर्ष में एक बार की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि एक वाणिज्यिक बैंक की समूह संस्था वाली एनबीएफसी को तब लागू उपबंधों का पालन करना चाहिए जब एक खास व्यवसाय/कार्य एनबीएफसी और इसके पैरेंट बैंक दोनों के द्वारा किया जा रहा हो। सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी संकेन्द्रण मानदंडों और जिस लेयर में ये श्रेणीकृत हैं, उस पर आधारित सीमाओं से निर्देशित होंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण चूक स्वैप, कुल प्रतिफल स्वैप का दायरा बढ़ा दिया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतिम मानदंड जारी किए हैं जिनमें ऋण चूक स्वैप और कुल प्रतिफल स्वैप जैसी लिखतों के व्यापक उपयोग की अनुमति दी गई है। इससे निवासी भारतीय गैर-खुदरा उपयोगकर्ता उद्देश्य पर किसी पाबंदी के बगैर इन लिखतों का उपयोग कर सकेंगे। तथापि, अनिवासी उपयोगकर्ताओं को इनका उपयोग केवल हेजिंग हेतु करने की अनुमति होगी। अनिवासियों के साथ ऋण डेरिवेटिव संविदा का समाधान भारतीय रुपयों अथवा विदेशी मुद्रा में किया जा सकता है। बीमा कंपनियाँ, पेंशन निधियाँ, म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश निधियां तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यथा प्रोटेक्शन सेलर का कार्य करने हेतु पात्र हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ऋण इंडेक्स फ्यूचर्स में व्यापार कर सकते हैं, परंतु सुरक्षात्मक उपायों के साथ।

फेमा, 1999 के तहत विवरणियों/रिपोर्टिंग की आवश्यकता में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अधिकृत व्यक्ति) विनियम, 2026 के पालन में, कतिपय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के विवेकीकरण और रिपोर्टिंग फार्मेट्स के निर्धारण/संशोधन हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि फारेन लाइसेंसिंग मनी चार्जिंग (एफएलएम)-8 में विदेशी मुद्रा नोट्स को बट्टे खाते डालने से संबंधित विवरण भी शामिल किए जाएंगे। 2000 अमरीकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा बट्टे खाते डालने हेतु अब भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा। नोस्त्रो खाते रखने वाली तथा संबंधित लेनदेन विदेशी मुद्रा संव्यवहार इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली के जरिए रिपोर्ट करने वाली संस्थाएं एफएलएम-8 विवरणी नहीं प्रस्तुत करेंगी।

पूंजी बाजार

ईटीएफ व्यापार संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु ढांचे में सेबी द्वारा संशोधन

सेबी ने एक्सचेंज व्यापारित निधियों (ईटीएफ) हेतु एक नया ढांचा जारी किया है जिसमें बेस मूल्य निर्धारण, मूल्य दायरे, प्री-ओपन काल नीलामियों तथा क्लोज-आउट प्रक्रियाओं संबंधी संशोधित मानदंड दिए गए हैं। इस ढांचे के अनुसार, ईटीएफ हेतु बेस मूल्य टी-1 दिन का अंतिम मूल्य होगा जो आखिर के 30 मिनट में ईटीएफ के मात्रा भारित औसत मूल्य के रूप में परिकलित किया जाएगा। यदि टी-1 दिवस के अंतिम 30 मिनट में कोई व्यापार नहीं होता तो दिन के अंतिम व्यापार का मूल्य प्रयुक्त होगा। यदि पूर्ववर्ती दिवस को कोई व्यापार न हुआ हो तो नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) बेस मूल्य होगा। एक दिवसीय तथा लिक्विड ईटीएफ को छोड़, इक्विटी ईटीएफ और कर्ज ईटीएफ हेतु परिवर्तनशील मूल्य दायरा शुरू किया गया है।

एआईएफ, वीसी एक्सपायरी उपरांत निधियाँ रख सकते हैं: सेबी

सेबी ने तीन स्थितियाँ निर्धारित की हैं जिनमें वैकल्पिक निवेश निधियाँ (एआईएफ), वेंचर पूंजी (वीसी) निधियाँ, निधि की अवधि पूरी होने के बाद इस निधि को रखे रह सकती हैं। एक्सपायरी के बाद निधि रखने हेतु इनमें से किसी एक शर्त का पालन होना चाहिए। शर्तें निम्नलिखित हैं:

- निधि पर भावी कर, विनियामक अथवा कानूनी जवाबदेही दर्शाने वाली वाद नोटिस या मांग प्राप्त होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना;
- किसी वाद या कर मांग के चलते संभावित देयता के कारण निवेशकों के योजना में उनके निवेश मूल्य के अनुसार न्यूनतम 75% लेना;
- पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए संबंधित परिचालन व्ययों का आंशिक समापन करने हेतु रखी गई राशि का प्रमाणीकरण।

धारित (रिटेण्ड) निधियों वाली तथा अपना पंजीकरण लौटाने की इच्छुक योजनाओं के लिए सेबी ने 'अपरिचालित निधि स्थिति' हासिल करने की अनुमति भी दे दी है।

सेबी द्वारा नगरपालिका बांड, खुले बाजार से बायबैक के मानदंडों संबंधी उपाय जारी

सेबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित कुछ उपाय हैं- खुले बाजार से बायबैक व्यवस्था की पुनः शुरुआत, चलनिधि मिलान न होने के दौरान म्यूचुअल फंडस को इंट्रा-डे उधार लेने की अनुमति, नगरपालिका बांड हेतु मानदंडों में ढील तथा उत्तराधिकारियों को प्रतिभूतियों के अंतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण। खुले बाजार से बायबैक के अप्रैल 2025 में बंद किए गए रास्ते को 1 अगस्त 2026 से खोल दिया गया है। यह रिवर्सल उन्हें नियमित बाजार संव्यवहार के रूप में शेयर बायबैक हेतु अतिरिक्त सुविधा देगा। प्रवर्तकों हेतु रक्षात्मक उपाय लागू किए गए हैं।

साथ ही, भिन्न आस्ति वर्गों में अलग-अलग समाधान समय के कारण उत्पन्न अस्थायी चलनिधि असंतुलन के प्रबंधन हेतु म्यूचुअल फंड्स को इंट्रा-डे उधार लेने की अनुमति दी गई है जो दिन में संभावित प्राप्य राशि तक सीमित होगा।

सेबी ने नगरपालिका कर्ज प्रतिभूतियों के निर्गम और सूचीबद्धता पर लागू विनियमों में परिवर्तन का भी अनुमोदन कर दिया है। नगरपालिकाओं को मौजूदा कर्जदाताओं तथा पुनर्वित्त किए जाने वाले ऋणों का विवरण देना होगा।

दिवंगत निवेशक की प्रतिभूतियों को उसके विधिक उत्तराधिकारियों और दावाकर्ताओं को अंतरण की प्रक्रिया को सेबी ने तीव्र और सरल कर दिया है। यह लघु-मूल्य दावों हेतु एक नवीन क्विक ट्रांसमिशन प्रासेसिंग (क्यूटीपी) शुरू करने वाले सेबी-अनुमोदित नवीकृत ढांचे के कारण संभव हुआ है।

गैर-कोर परामर्शदाता स्टाफर को सरलीकृत परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी: सेबी

निवेश सलाह से संबद्ध व्यक्तियों हेतु प्रमाणन अपेक्षाओं में सेबी ने ढील दे दी है। इन व्यक्तियों में मुख्य रुप से बिक्री, संबंध प्रबंधन तथा अन्य गैर-कोर सेवाओं में नियोजित निवेश सलाहकारों के स्टाफ शामिल हैं। उक्त व्यक्तियों को निवेश सलाहकारों हेतु निर्धारित परीक्षा की तुलना में सरलीकृत परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

सेबी द्वारा मर्चेन्ट बैंकरों हेतु समय सीमा में विस्तार

अलग व्यवसाय इकाईयों (एसबीयू), निवल मालियत तथा चलनिधि निवल मालियत संबंधित कतिपय प्रावधानों के पालन

हेतु सेबी द्वारा मर्चेन्ट बैंकरों को विस्तारित समय-सीमा दी गई है। तदनुसार, एसबीयू में अंतरण कार्यों के लिए मर्चेन्ट बैंकरों को पूर्व के 3 जुलाई 2026 की बजाय 31 दिसंबर 2026 तक समय उपलब्ध होगा। मर्चेंट बैंकर्स के लिए कैटेगरी I या कैटेगरी II के तौर पर अपने वर्गीकरण के बारे में SEBI को जानकारी देने की समय-सीमा भी 2 जनवरी 2027 से बढ़कर 31 मार्च 2027 कर दी गई है।

बीमा

आईआरडीएआई द्वारा बीमा कंपनियों में मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों के पारिश्रमिक मानदंडों में सख्ती

आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों में मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों के पारिश्रमिक मानदंडों को सख्त कर दिया है। 2027 से लागू होने वाले इन मानदंडों में अधिदेश है कि परिवर्ती वेतन तथा प्रोत्साहन राशि का 50% ग्राहक केंद्रित प्राचलों- नामत: दावों पर कार्यवाही एवं सुधार, उत्पाद सफलता एवं सुधार, स्वस्थ वित्तीय स्थिति एवं सुधार, शिकायत समाधान तथा भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन, जनता तथा वितरकों के साथ संपर्क में डार्क पैटर्न हटाने से सम्बद्ध होने चाहिए।

विनियामक के कथन

एमएसएमई क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था और रोजगार का महत्वपूर्ण अंग है: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

एमएसएमई क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। वैश्विक कारोबार में यह 90% हिस्सा रखता है। विश्व में रोजगार में इसका योगदान 50% का है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 के उद्घाटन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि एमएसएमई उद्यमी पृथकत: लघु हो सकते हैं पर सामूहिक रूप से, 32 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करते हुए जीडीपी में 31% का योगदान करते हैं। एमएसएमई क्षेत्र हेतु कतिपय उपायों का जिक्र करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा कि उपभोक्ताओं की बदलती पसंद और उम्मीदों के मद्देनज़र एमएसएमई को प्रौद्योगिकी, अनुसंधान व विकास तथा नवोन्मेष में निवेश करते हुए अपने विकास की ज़िम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। उन्हें, उनके लिए निर्मित लिखतों तथा बैंकों और एनबीएफसी जैसी संस्थाओं के जरिए शीर्ष बैंक के साथ सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। आखिर में, उन्होंने ज़ोर दिया कि कारोबार भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं, इसलिए एमएसएमई द्वारा अपने हितधारकों के साथ टिकाऊ संबंध बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

सर्वोत्तम परिणामों के लिए बैंकिंग में आघात सह्यता बहुस्तरीय होनी चाहिए: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

कोलंबिया विश्वविद्यालय में बोलते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने कहा कि बैंकों की आघात सह्यता, तुलनपत्र की ज्ञात मुश्किलों को दूर करने से हट कर, जटिलताओं तथा अनिश्चितताओं का सामना करने पर केंद्रित होगी। भारत की बैंकिंग की हाल की आघात सह्यता नीतियों से सीख, पर्यवेक्षी सतर्कता, मज़बूत विवेकपूर्ण ढांचे, तनाव के पारदर्शी निर्धारण, सुधार के विश्वसनीय तंत्र तथा खुद बैंकों के भीतर सुधार को दर्शाती है। बैंकों की आघात सह्यता विकास या अनुकूल स्थितियों से स्वत: नहीं उत्पन्न होती। इसे बैंकों पर लागू नियमों में, बहुल स्तरों पर निर्मित करना होता है।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग ने जून 2026 हेतु मासिक आर्थिक समीक्षा जारी की है। इसकी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- जून 2026 में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2022-23 को आधार वर्ष मान कर, संशोधित आईआईपी शृंखला जारी की। संशोधित सूचकांक में 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 हेतु वार्षिक वृद्धि क्रमश: 6.7, 6.4 और 4.3% दर्ज की गई है।
- उत्पादनकर्ता मूल्य सूचकांक 2022-23 को आधार वर्ष बनाकर शुरू किया गया है। यह उत्पादनकर्ता पक्ष मुद्रास्फीति के मापन तथा राष्ट्रीय खातों हेतु दोहरी डिफ्लेशन पद्धति में सुधार लाकर मूल्य सूचकांकों की विश्लेषणात्मक उपयोगिता

बढ़ाता है और इस प्रकार थोक मूल्य सूचकांक से उत्पादनकर्ता मूल्य सूचकांक की ओर चरणबद्ध अंतरण की राह बनाता है।

- मई 2026 में ग्रामीण मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% होने तथा शहरी मुद्रास्फीति बढ़कर 3.5% होने के साथ ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई।
- आठ कोर उद्योगों के सूचकांक में वर्षानुवर्ष वृद्धि अप्रैल 2026 के 1.8% से कम होकर मई 2026 में 0.5% रह गई।
- कुल निर्यातों (वस्तुओं व सेवाओं) में मई 2026 में वर्षानुवर्ष 15.8% की वृद्धि दर्ज की गई। मुख्यत: पेट्रोलियम, क्रूड तथा उत्पादनों के निर्यात के चलते वस्तुओं के आयात में वर्षानुवर्ष 20.6% की वृद्धि हुई जबकि सेवाओं का आयात 14.1% (वर्षानुवर्ष) बढ़कर 19.1 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- वित्त वर्ष 26 में भारत का चालू खाता घाटा 25.2 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 0.6%) रहा।
- विप्रेषण वित्त वर्ष 25 के 135.4 बिलियन अमरीकी डॉलर से वर्षानुवर्ष 14.5% की वृद्धि दर्ज कर वित्तवर्ष 26 में 155.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गए।
- निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) एक वर्ष पूर्व के 1.6 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल 2026 में 6.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- यूपीआई ने मई 2026 में 29.90 लाख करोड़ रुपए के संव्यवहार संचालित किए।

नई नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री स्वामीनाथन जे	पुनर्नियुक्त उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री रवि शंकर	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री ब्रजेश कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, केनरा बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार		
	यथा 26 जून 2026	
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर
	1	2
1 कुल भंडार	6294507	666933
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5106549	541067
1.2 स्वर्ण	967731	102536
1.3 एसडीआर	175144	18558
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	45082	4772

विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार में प्रवृति (मिलियन अमरीकी डॉलर)

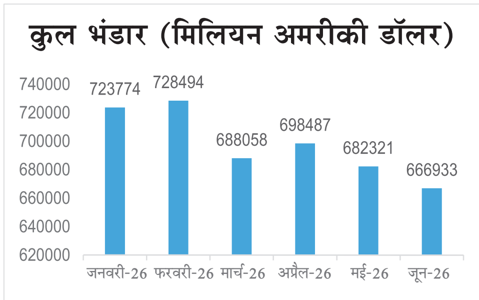

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: *भारतीय रिज़र्व बैंक*

यथा 30 जून 2026 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें, जुलाई 2026 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	3.62
SONIA (जीबीपी)	3.729
STR (यूरो)	2.181
TONA (जापानी येन)	0.977
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.3200
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	4.35
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.038579

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	2.25
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.653
SORA (सिंगापुर डॉलर)	1.1553
HONIA (हांगकांग डॉलर)	2.42655
MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.7830

स्रोत: *www.fbil.org.in*

शब्दावली

शैडो रिवर्सल

शैडो रिवर्सल का अर्थ धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग संव्यवहार की ग्राहक से बैंक को सूचना मिलने पर, संव्यवहार में निहित राशि का बैंक द्वारा ग्राहक को दिया गया अस्थायी/अनंतिम जमा है जो आंतरिक अन्वेषण पूर्ण होने या बीमा दावे, यदि कोई हो, के निपटान अथवा दूसरे पक्षकारों के साथ किए जाने वाले किसी अन्य समझौते से पहले किया जाए। हालांकि ग्राहक को इस राशि का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, उस पर ब्याज/प्रभार कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा।

वित्तीय ज्ञान

उत्पादनकर्ता मूल्य सूचकांक

उत्पादनकर्ता मूल्य सूचकांक (पीपीआई) थोक कीमतों में परिवर्तन की माप कर उपभोक्ताओं तक मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों के पहुँचने से पूर्व इसकी जानकारी देता है। पीपीआई सूचकांकों की गणना उत्पादों तथा सेवाओं, उद्योगों तथा क्रेता की आर्थिक पहचान के आधार पर की जाती है जिनका उपयोग अंतिम मांग पीपीआई में समग्र मासिक बदलाव की गणना हेतु किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जुलाई 2026 माह हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
डीपीडीपी अधिनियम लागू करने-बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं हेतु व्यावहारिक अनुपालन पर कार्यशाला	10 जुलाई, 2026	वर्चुअल
प्रमाणित लेखा और लेखापरीक्षा पेशेवरों हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	13-15 जुलाई, 2026	वर्चुअल
एमएसएमई को वित्तपोषण पर उन्नत कार्यक्रम	13-16 जुलाई, 2026	वर्चुअल
निवारक सतर्कता और धोखाधड़ी प्रबंधन पर कार्यक्रम	14-17 जुलाई, 2026	वर्चुअल
ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा वसूली पर कार्यक्रम	15-17 जुलाई, 2026	वर्चुअल

इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के जरिए तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर कार्यक्रम	16-18 जुलाई, 2026	लीडरशीप डेवलपमेंट सेंटर, आईआईबीएफ, मुंबई
सतर्कता तथा अन्वेषण अधिकारियों के लिए कार्यक्रम	17-18 जुलाई, 2026	वर्चुअल
बैंकों, एनबीएफसी तथा एफआई हेतु धनशोधन निवारण, केवाईसी एवं वित्तीय आतंकवाद जोखिम को रोकने संबंधी विनियामक और सांविधिक दिशानिर्देशों पर कार्यक्रम	21-22 जुलाई, 2026	वर्चुअल
निवारक सतर्कता और धोखाधड़ी रोकने पर कार्यक्रम	21-23 जुलाई, 2026	वर्चुअल
कार्यस्थल पर साइबर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा तथा डिजिटल बैंकिंग संबंधी जोखिमों के प्रबंधन पर कार्यक्रम	28-30 जुलाई, 2026	वर्चुअल

संस्थान समाचार

एनसीवीईटी अनुमोदित पाठ्यक्रमों हेतु पंजीकरण प्रारम्भ

एनसीवीईटी अनुमोदित पाठ्यक्रम 'फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल बैंकिंग' के जुलाई 2026-दिसंबर 2026 बैच हेतु पंजीकरण चालू है। अंतिम तिथि बढ़ा कर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। विवरण तथा आवेदन करने के लिए https://www.iibf.org.in/NCVET पर जाएँ।

आईआईबीएफ द्वारा बैंकिंग और वित्त में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (एएमपी) के बैच XVI की घोषणा

आईआईबीएफ ने बैंकिंग और वित्त में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के बैच XVI (2026-27) की घोषणा कर दी है। कार्यक्रम कार्यरत अधिकारियों और कार्यपालकों हेतु बनाया गया है। 10 माह के इस कार्यक्रम में बैंकिंग तथा वित्त के विभिन्न क्षेत्र शामिल किए गए हैं। यह एक हाइब्रिड कार्यक्रम है जिसमें सप्ताहांत सत्र ऑनलाइन होंगे तथा बीच में एमर्शन कार्यक्रम आईआईएम कलकत्ता परिसर तथा आईआईबीएफ, मुंबई में आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम हेतु संकाय उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ होंगे। अधिक जानकारी https://www.iibf.org.in/advance-management-program पर मिलेगी।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय 'बैंकिंग क्षेत्र में क्षमता निर्माण के जरिए ग्राहक सेवा को बेहतर बनाना' है। उप-विषय हैं- ग्राहक सेवा उत्कृष्टता लाने में कर्मचारियों की भूमिका; ग्राहक सेवा; ग्राहक जुड़ाव; डिजिटल युग में ग्राहक अधिग्रहण; ग्राहक सुरक्षा; शिकायत प्रबंधन; व्यथा समाधान; कर्मचारी जुड़ाव; प्रशिक्षण, कर्मचारियों में कौशल विकास तथा प्रौद्योगिकी अंगीकरण, आचार नीति तथा अनुपालन।

परीक्षाओं हेतु महत्त्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में कट-ऑफ तिथि

संस्थान की एक प्रथा है कि प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक (कों) द्वारा जारी निशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी से खुद को अवगत रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से परीक्षाओं की वास्तविक तिथि तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के मार्च से अगस्त की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 31 दिसंबर तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के सितंबर से फरवरी की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 30 जून तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा।

पर्यावरण अनुकूल कदम

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान में अपना ई-मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल से पाने हेतु अपनी सहमति प्रेषित करें।

बाजार की खबरें

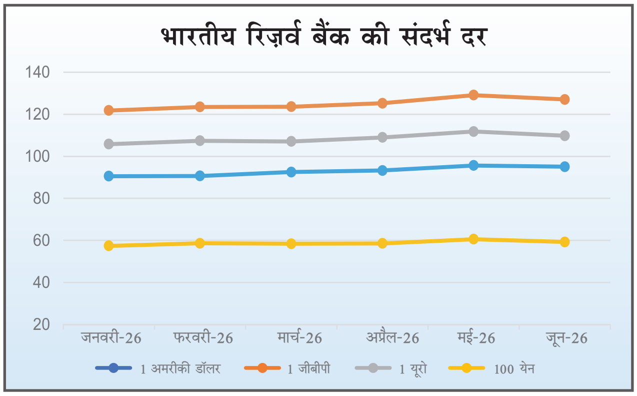

स्रोत: एफबीआईएल

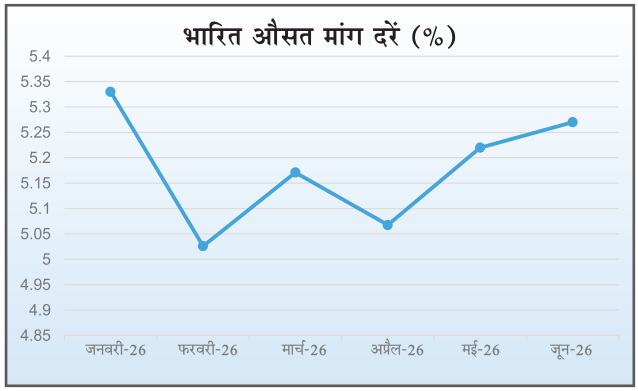

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

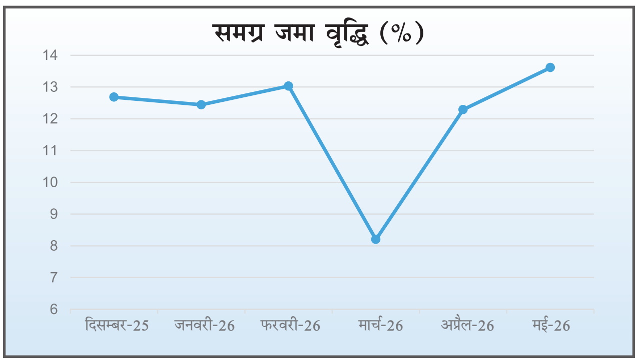

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मई 2026

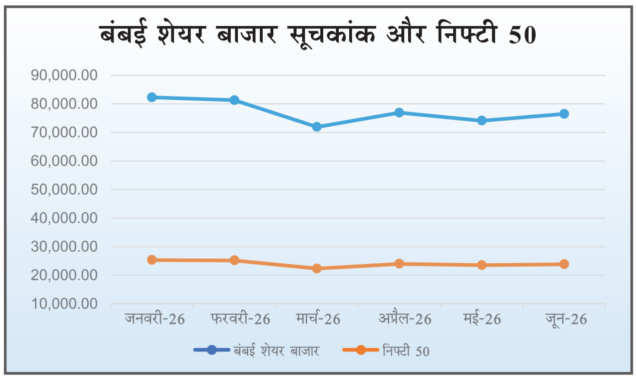

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

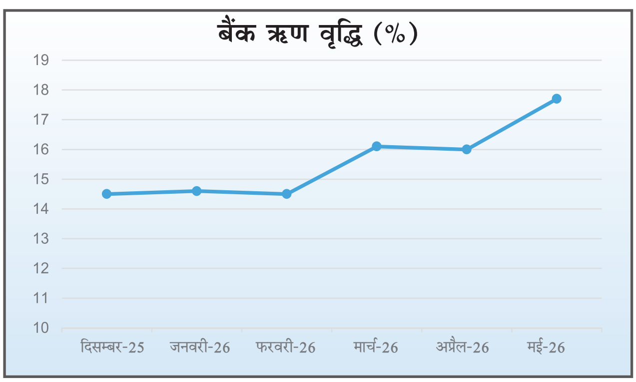

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

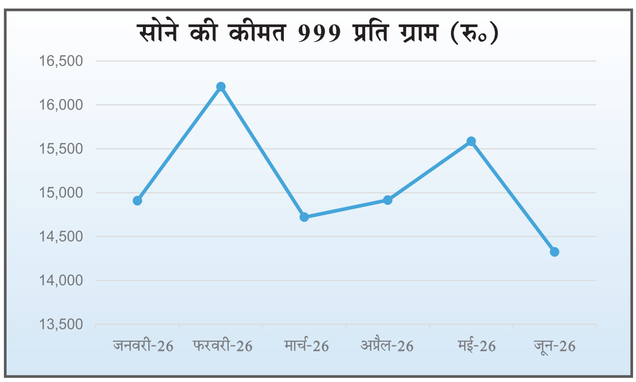

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

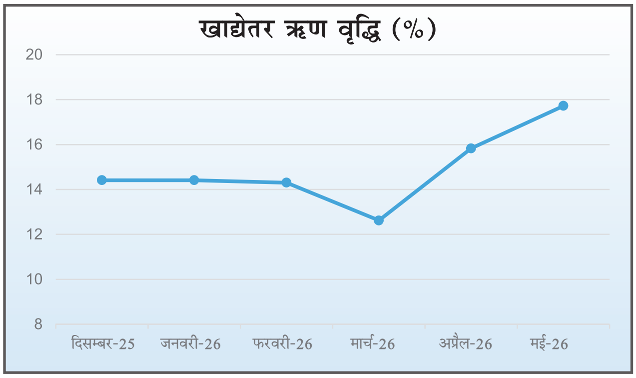

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मई 2026

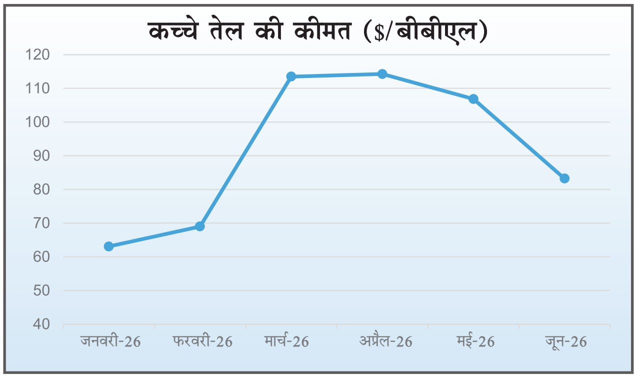

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

● Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

Printed by Deepak Kumar Lalla, **Published by** Deepak Kumar Lalla, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Printrade Issues (I) Pvt. Ltd., 17, Pragati Ind. Estate, 316, N. M. Joshi Marg, Mumbai - 400011 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Deepak Kumar Lalla

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 08069260710
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in